न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 31/2023 FSSA

1.सरकार जरिये मुकेश प्रजापत खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, दौसा। —आवेदक—

बनाम

1. श्री गुजरमल साहू पुत्र श्री पन्नालाल साहू एफबीओ मैसर्स पन्नालाल नरेश कुमार, त्रिकुटिया बाजार, बसवा, तहसील बसवा, जिला दौसा। — अभियुक्त—

(जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011)

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित।

दिनांकः—19.02.2026

—::आदेश::—

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 22.02.2023 को दोपहर 3.00 बजे मैसर्स पन्नालाल नरेश कुमार, त्रिकुटिया बाजार, बसवा तह बसवा, जिला दौसा स्थित फर्म का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री गुजरमल साहू पुत्र श्री पन्नालाल साहू उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र दिखाने के लिए कहां, तो उसने खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक प्लास्टिक के कट्टे में हल्दी पाउडर खुला (Turmeric Powder Loose) आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई थी में मिलावट का शक होने पर इसमें से नमूने की जॉच हेतु 2 कि. ग्रा. हल्दीपाउडर खुला (Turmeric Powder Loose) खरीदी। जिसे विक्रेता ने साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की थैली में तौलकर दी, जिसकी कीमत 280 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया। नमूने के लिए खरीदशुदा 2 कि.ग्रा. हल्दीपाउडर खुला (Turmeric Powder Loose) को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक के डिब्बो में बराबर—बराबर डालकर डिब्बों को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहन व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को डिब्बो पर चिपकाकर डिब्बो को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेट कर डिब्बो पर डी. ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.—3201 गोंद से चिपकाकर डिब्बों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बाँधकर डिब्बो को चार—चार जगह से चपड़ी से सील मोहर कर डिब्बो पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक ने मौके पर फार्म न. 5 ए की दो प्रतिया तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म न. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफबीओ व गवाहान को पढ़कर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफबीओ व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म न. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द डिब्बा एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म न. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द डिब्बा व फार्म न. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री प्रकाश चन्द सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्यालय द्वारा दिनांक 23.02.2023 को खाद्य विश्लेषक, राज, अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द डिब्बे व फार्म नं. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 23.02.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सील बन्द डिब्बा व फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 23.02.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाये। उक्त खाद्य पदार्थ हल्दीपाउडर खुला (Turmeric Powder Loose) के नमूने की खाद्य विशलेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/193/एक्ट/2023/215 दिनांक 03.03.2023 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दीपाउडर खुला (Prohibitions and Restrictions (Turmeric Powder Loose) का नमूना नियम 2.3.14 (15) एफएसएसए पाया गया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की on sale) नियम 2011 का उल्लघंन (खुले मसाले बेचना) धारा 58 एफएसएसए 2006 में वर्णित है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर खुला (Turmeric Powder Loose) के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/193/एक्ट/2023/215 दिनांक 03.03.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर खुला (Turmeric Powder Loose) के नमूने की जांच में Contravention to the Regulation No. 2.3.14.(15) of FS&S (Prohibition and Restriction on Sale) Regulation 2011 and no person shall sell powered spices and condiments except under packed condition अंकित है। इस प्रकार से अभियुक्त द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर खुला (Turmeric Powder Loose) का विक्रय कर नियम 2.3.14 (15) एफएसएसए (Prohibitions and Restrictions on sale) नियम 2011 का उल्लघंन किया है। अतः धारा 58 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानो के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी मैसर्स पन्नालाल नरेश कुमार, त्रिकुटिया बाजार, बसवा तहसील बसवा जिला दौसा स्थित फर्म का मालिक है। उक्त फर्म पर हल्दी पाउडर आदि का विक्रय किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमुने के लिए 2 कि.ग्रा. हल्दी पाउडर खुला (Turmeric Powder Loose) खरीदा। प्रार्थी को खुले मसाले बेचने के संबंध में जानकारी नही थी। प्रार्थी भविष्य में इस प्रकार की गलती नही करेगा। कृपया कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/193/एक्ट/2023/215 दिनांक 03.03.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर खुला (Turmeric Powder Loose) का नमूना Contravention to the Regulation No. 2.3.14.(15) of FS&S (Prohibition and Restriction on Sale) Regulation 2011 and no person shall sell powered spices and condiments except under packed condition पाया गया है। जिससे नियम 2.3.14 (15) एफएसएसए (Prohibitions and Restrictions on sale) नियम 2011 का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 58 एफएसएसए 2006 में वर्णित है।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा नियम 2.3.14 (15) एफएसएसए (Prohibitions and Restrictions on sale) नियम 2011 का उल्लघंन (खुला मसाले बेचना) कर खाद्य पदार्थ हल्दीपाउडर खुला (Turmeric Powder Loose) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी गुजरमल साहू पुत्र श्री पन्नालाल साहू एफबीओ मैसर्स पन्नालाल नरेश कुमार, त्रिकुटिया बाजार, बसवा, तहसील बसवा, जिला दौसा(राज0) पर 10,000/–रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 19.02.2026 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (Chief Medical & Health Officer Dausa) के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/2/26
(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांकः FSSA/26/65-67
दिनांकः– 24 .02.2026

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज. जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री गुजरमल साहू पुत्र श्री पन्नालाल साहू एफबीओ मैसर्स पन्नालाल नरेश कुमार, त्रिकुटिया बाजार, बसवा, तहसील बसवा, जिला दौसा

19/2/26
(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा